प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया सहित}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर थाना:– सीपीएस जयपुर वर्ष 2022
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 427/22 दिनांक 2/11/2022
2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) 2018 धाराये :– 7,7 क
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धाराये :–120 बी
   (3) अधिनियम .... धाराये :–..................................
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 24 समय 5:30 P.M.
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– **गुरूवार दिनांक 25.08.2022**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक:– **25.08.2022, समय 8.00 ए0एम0**
4. सूचना की किस्म :– कम्प्युटर टाईपशुदा **रिपोर्ट**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **चौकी से पश्चिम में, करीब 45 कि.मी. दूर।**
   (ब) पता :– **पटवार भवन हल्का मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर**
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–
6. **परिवादी/सूचनाकर्त्ता**
   श्री लालचंद राणावत पुत्र श्री.ताराचंद राणावत उम्र 65 वर्ष जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेंर
7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–**

   1.श्रीमति रेखादेवी वैष्णव पुत्री श्री रामनिवास वैष्णव जाति वैष्णव उम्र 31 वर्ष निवासी नीमडी कल्ला , डेगाना जिला नागौर तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर।

   2. श्री सुभाष वैष्णव पुत्रश्री बाबू दास जाति वैष्णव निवासी हनुमान जी की तिबारी ग्राम पोस्ट जसनगर तहसील मेडता सिटी जिला नागौर ।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–..
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य ....
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो)..
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवामें

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ,
जालोर

विषय :– रिश्वत लेते हूये रंगे हाथों पकडवाने बाबत।

महोदय ,

निवेदन है कि मै लालचंद राणावत पुत्र श्री.ताराचंद राणावत उम्र 65 वर्ष जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेंर वन विभाग से रेंजर पद से सेवानिवृत हूं मैने जिला बाडमेर के तहसील सिवाना पटवार सर्कल मोकलसर के राजस्व ग्राम मोकलसर सरहद मे स्थित खेत खसरा नंबर 793 का रकबा 01.4974 हैक्टर भूमि खतोनी संख्या 635 में से श्री दीपाराम व श्री पुंखराज पिसरान मोकाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर से 0.0831 हैक्टयर वर्ष 2020 में स्वंय के नाम से खरीदा था एवं जिला बाडमेर के तहसील सिवाना पटवार सर्कल मोकलसर के राजस्व ग्राम मोकलसर सरहद मे स्थित खेत खसरा नंबर 707 का रकबा 02.6305 हैक्टर भूमि खतोनी संख्या 319 में से श्री छगना ,लाला पिसरान देवाजी जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर से 00.161874 हैक्टयर /एक बीघा वर्ष 2021 में पुत्रवधू श्रीमति मनोहरी पत्नी श्री संजय कुमार के नाम से खरीदा था एवं जिला बाडमेर के तहसील सिवाना पटवार सर्कल मोकलसर के राजस्व ग्राम मोकलसर सरहद मे स्थित खेत खसरा नंबर 707 का रकबा 02.6305 हैक्टर भूमि खतोनी संख्या 319 में से श्री छगना पुत्र श्री देवाजी जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर से 00.161874 हैक्टयर /एक बीघा वर्ष 2021 में पुत्रवधू श्रीमति मनोहरी पत्नी श्री संजय कुमार के नाम से खरीदा था। उक्त खरीदशुदा भूमि के रजिस्ट्रीयों की प्रतियां म्यूटेशन भरने हेतु करीब एक वर्ष पहले पटवार हल्का मोकलसर में दी थी। उक्त खरीदशुदा भूमि के म्यूटेशन भरने हेतु श्रीमति रेखा पटवारी बार –बार चक्कर कटवा रही है तथा मेरे उक्त भूमियें की म्यूटेशन नही भर रही है मैं मेरे उपरोक्त खरीदशुदा भूमि के म्यूटेशन भरवाने हेतु आज से करीब 5 दिन पहले मै पटवार कार्यालय मोकलसर पहुंचा तथा कार्यालय में उपस्थित श्रीमति रेखा पटवारी तथा उसके पति श्री सुभाष उपस्थित मिले जिनसे म्यूटेशन भरवाकर नकले दिलवाने हेतु कहा तो श्रीमति रेखा पटवारी तथा उसके पति श्री सुभाष ने म्यूटेशन भरवाने की एवज में रिश्वत के रूप में दस हजार रूपये की मांग कर रहे है। पटवारी श्रीमति रेखा का पति अक्सर उसके सभी सरकारी कामकाज करता है तथा वह दोनो पति–पत्नी साथ ही पटवार घर में बैठे रहते है पटवारी श्रीमति रेखा बिना रिश्वत लिए मेरा काम किसी भी सूरत मे नहीं करेगी । मैं वृद्ध व्यक्ति हूं बार–बार चक्कर काटने की स्थिति मे नहीं हूं । मैं पटवारी रेखा को अपने जायज काम के लिए रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। श्रीमति रेखा पटवारी मोकलसर से मेरा कोई लेन–देन अथवा उधार बकाया नही है। ना ही मेरी उससे एवं उसके पति से कोई रंजिश अथवा मनमुटाव है ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस संबध में उचित कानूनी कार्यवाही करावें।

संलग्नः –1. स्वंय की स्व प्रमाणित आधार कार्ड छाया प्रति ।
2. भूमि से संबधित दस्तावेजात की छाया प्रतियां

दिनांक :– 25.08.2022

प्रार्थी

एसडी /– राजकुमार 26.08.2022
एसडी/– श्री कपिश मीणा26.08.2022
एसडी/– राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस
25.08.2022

एसडी/–
लालचंद राणावत पुत्र श्री ताराचंद
निवासी मोकलसर तहसील सिवाना
जिला बाडमेर। मो.–9799034538

महोदय,

प्रकरण हाजा में हालात इस प्रकार है कि दिनांक 25.08.2022 को परिवादी श्री लालचंद राणावत पुत्र श्री ताराचंद राणावत उम्र 65 वर्ष जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेंर,मो.–9799034538 ने भ्रनिब्यूरो जालोर में उपस्थित होकर एक कम्यूटराईज्ड टाईप रिपोर्ट श्री राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की मै लालचंद राणावत पुत्र श्री.ताराचंद राणावत उम्र 65 वर्ष जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेंर वन विभाग से रेंजर पद से सेवानिवृत हूं मैने जिला बाडमेर के तहसील सिवाना पटवार सर्कल मोकलसर के राजस्व ग्रम मोकलसर सरहद मे स्थित खेत खसरा नंबर 793 का रकबा 01.4974 हैक्टर भूमि खतोनी संख्या 635 में से श्री दीपाराम व श्री पुंखराज पिसरान मोकाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर से 0.0831 हैक्टयर वर्ष 2020 में स्वंय के नाम से खरीदा था एवं जिला बाडमेर के तहसील सिवाना पटवार सर्कल मोकलसर के राजस्व ग्रम मोकलसर सरहद मे स्थित खेत खसरा नंबर 707 का रकबा 02.6305 हैक्टर भूमि खतोनी संख्या 319 में से श्री छगना ,लाला पिसरान देवाजी जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर से 00.161874 हैक्टयर /एक बीघा वर्ष 2021 में पुत्रवधू श्रीमति मनोहरी पत्नी श्री संजय कुमार के नाम से खरीदा था एवं जिला बाडमेर के तहसील सिवाना पटवार सर्कल मोकलसर के राजस्व ग्रम मोकलसर सरहद मे स्थित खेत खसरा नंबर 707 का रकबा 02.6305 हैक्टर भूमि खतोनी संख्या 319 में से श्री छगना पुत्र श्री देवाजी जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर से 00.161874 हैक्टयर /एक बीघा वर्ष 2021 में पुत्रवधू श्रीमति मनोहरी पत्नी श्री संजय कुमार के नाम से खरीदा था। उक्त खरीदशुदा भूमि के रजिस्ट्रीयों की प्रतियां म्यूटेशन भरने हेतु करीब एक वर्ष पहले पटवार हल्का मोकलसर में दी थी। उक्त खरीदशुदा भूमि के म्यूटेशन भरने हेतु बार –बार चक्कर कटवा रही है तथा मेरे उक्त भूमियें की म्यूटेशन नही भर रही है मैं मेरे उपरोक्त खरीदशुदा भूमि के म्यूटेशन भरवाने हेतु आज से करीब 5 दिन पहले मै पटवार कार्यालय मोकलसर पहुंचा तथा कार्यालय में उपस्थित श्रीमति रेखा पटवारी तथा उसके पति श्री सुभाष उपस्थित मिले जिनसे म्यूटेशन भरवाकर नकले दिलवाने हेतु कहा तो श्रीमति रेखा पटवारी तथा उसके पति श्री सुभाष ने म्यूटेशन भरवाने की एवज में रिश्वत के रूप में दस हजार रूपये की मांग कर रहे है। पटवारी श्रीमति रेखा का पति अक्सर उसके सभी सरकारी कामकाज करता है तथा वह दोनो पति–पत्नी साथ ही पटवार घर में बैठे रहते है पटवारी श्रीमति रेखा बिना रिश्वत लिए मेरा काम किसी भी सूरत मे नहीं करेगी । मैं वृद्ध व्यक्ति हूं बार–बार चक्कर काटने की स्थिति मे नहीं हूं । मैं पटवारी रेखा को अपने जायज काम के लिए रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। श्रीमति रेखा पटवारी मोकलसर से मेरा कोई लेन–देन अथवा उधार बकाया नही है ।ना ही मेरी उससे और उसके पति से कोई रंजिश अथवा मनमुटाव है वगैरा । श्री राजेन्द्रसिहं निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पुलिस दरियाफ्त पर परिवादी श्री लालचंद राणावत ने रिपोर्ट अपने विश्वस्त ईमित्र से टाईप करवाना ,रिपोर्ट में लिखे समस्त तथ्य सही होना एवं रिपोंट एवं संलग्न दस्तावेज पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित तथ्यों एवं कथनों से संदिग्ध अधिकारी लोकसेवक श्रीमति रेखा पटवारी पटवार हल्का मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर एवं उसके पति श्री सुभाष द्वारा परिवादी श्री लालचंद राणावत से उसके वैध कार्य की एवज में रिश्वती राशि मांग करना प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। उक्त हालात मन् डॉ महावीरसिह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जालोर को राजकार्य मे व्यस्त होने से जरिये मोबाईल अर्ज किये गये। श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि0 श्री गुलाबसिंह नं0 140 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर मालखाना से डिजीटल टेप रिकार्डर मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री लालचंद राणावत से उसका आपस में परस्पर परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर श्री गुलाबसिंह कानि0 को सुपूर्द कर हिदायत दी कि परिवादी श्री लालचंद राणावत के साथ ग्राम मोकलसर जाकर श्रीमति रेखा पटवारी पटवार हलका मोकलसर से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन कराकर वार्ता को रिकार्ड कर लावे, इत्यादी हिदायत देकर परिवादी श्री लालचंद राणावत तथा श्री गुलाबसिंह कानि0 को पटवार घर मोकलसर के लिऐ कानि. के निजी मोटर साईकिल से रवाना किया गया। प्रकरण हाजा में श्री गुलाबसिंह कानि0 140 हमरा परिवादी श्री लालचंद राणावत के ब्यूरो कार्यालय जालोर में श्री राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये। श्री गुलाबसिंह कानि0 ने डिजीटल टेप रिकार्डर स्वीच आर्फ हालात में श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द करते हुऐ बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार आज दिनांक 25.08.2022 को ब्यूरो कार्यालय से परिवादी लालंचद राणावत के साथ रवाना होकर करीबन 10.30 पी0एम0 पर पटवार घर मोकलसर के पास पहुँचकर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर स्वीच ऑन कर परिवादी श्री लालंचद राणावत को सुपूर्द कर पटवार हल्का मोकलसर में संदिग्ध अधिकारी श्रीमति रेखा पटवारी से रिश्वती राशि मांग वार्ता रिकार्ड करवाने हेतु रवाना किया गया, कुछ समय बाद परिवादी श्री लालचंद राणावत मन् कानि. के समक्ष उपस्थित आया और डिजीटल टेप रिकार्डर सुपूर्द किया जिसे स्वीच आर्फ कर मैने अपने कब्जे लिया। परिवादी श्री लालचंद राणावत ने बताया कि मैं पटवार हल्का मोकलसर में गया जहां श्रीमति रेखा पटवारी और आरोपिया पति श्री सुभाष उपस्थित मिले। उन्होनें मेरे द्वारा खरीदशुदा भूमि के

म्यूटेशन भरने तथा नकल देने की एवज में 6000/- रूपये में सौदा तय होना बताया। उपस्थिति परिवादी श्री लालचंद राणावत ने श्री गुलाबसिंह कानि. के कथनों की ताईद की । जिस पर श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने डिजीटल टेप रिर्काडर आॅन कर सुना तो श्री गुलाबसिंह कानि. एवं परिवादी श्री लालचंद राणावत के कथनों की ताईद होते रिश्वत राशि मांग वार्ता रिकार्ड होने की पुष्टि हुई । डिजीटल टेप रिकार्डर को स्वीच ऑफ कर श्री राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस ने अपनी अलमारी में सुरक्षित रखा। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन दिनांक 26.08.2022 को करने का निर्णय लिया गया। उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट स्वतंत्र गवहान एवं परिवादी की उपस्थिति में आईन्दा तैयार करवाये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण हाजा में परिवादी श्री लालचंद राणावत को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 6000/-रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 26.08.2022 को प्रातः 7.30 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित आने एवं प्रकरण में गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर रवाना किया गया। प्रकरण हाजा में ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्कता होने से श्री कालूराम कानि0 477 को श्रीमान सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जालोर के नाम तहरीर देकर कार्यालय के दो गवाहो को ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थिति देने बाबत् हिदायत देकर रवाना किया गया। प्रकरण हाजा में श्री कालूराम कानि0 477 मय दो गवाह के ब्यूरो कार्यालय जालोर उपस्थित आये । गवाहान को श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देते हुए आने के मंतव्य से अवगत करवाकर परिचय पूछने पर क्रमशः श्री कपिश मीणा पुत्र श्री महेंद्र मीणा उम्र 28 वर्ष जाति मीणा निवासी 44, अम्बिका आवास ,बोरखेडा, कोटा जिला कोटा हाल कनिष्ट सहायक, कार्यालय उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जालोर, मोबाईल नम्बर 8003064699 एवं श्री राजकुमार भील पुत्र श्री बैजनाथ भील उम्र 31 वर्ष जाति भील निवासी 211, रीदल्या बुजुर्ग ,टोंक जिला टोंक हाल कनिष्ट सहायक, कार्यालय उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जालोर, मोबाईल नम्बर 8875526160 के रूप में दिया। दो गवाहोनों को दिनांक 26.08.2022 को प्रातः 7.30 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय जालोर उपस्थित आने एवं प्रकरण में गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत दी जाकर रवाना किया गया। ब्यूरो स्टॉफ को भी दिनांक 26.08.2022 को कार्यालय हाजा पर प्रातः 7.30 ए.एम. उपस्थित आने की हिदायत कर पाबंध किया गया। उक्त प्रकरण में महिला कानि. की आवश्यकता होने से थानाधिकारी ,पुलिस थाना कोतवाली जालोर को जरिए दूरभाष वार्ता कर एक महिला कानि. को दिनांक 26.08.2022 को प्रातः 7.30 ए.एम. पर भ्रनिब्यूरो कार्यालय जालोर में भिजवाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण हाजा में दिनांक 26.08.2022 को पूर्व पाबंधशुदा परिवादी श्री लालंचद राणावत ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। इसी दौरान ब्यूरो स्टॉफ ,पूर्व पाबंधशुदा महिला कानि. हेमलता कानि. 616 पुलिस थाना कोतवाली जालोर, गवाहन श्री कपिश मीणा ,कनिष्ट सहायक एवं श्री राजकुमार भील ,कनिष्ट सहायक ,कार्यालय उपनिदेशक ,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,जालोर ब्यूरो कार्यालय जालोर उपस्थित आये। गवाहान श्री कपिश मीणा कनिष्ट सहायक एवं श्री राजकुमार भील कनिष्ट सहायक का उपस्थित परिवादी श्री लालचंद राणावत को परस्पर परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया व पढाया गया तथा परिवादी एंव आरोपीगण के मध्य दिनांक 25.08.2022 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है को स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया एंव गवाहान ने भी परिवादी से विस्तृत पुछताछ कर तस्सली कर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहन बनने की सहमति प्रदान की एंव परिवादी की रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। पूछने पर परिवादी श्री लालचंद राणावत ने रिश्वत में दी जाने वाली राशि 6,000 रूपये साथ लेकर आना बताया। प्रकरण हाजा में श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री लालचंद राणावत से आरोपिया श्रीमति रेखा पटवारी या उसके लिये आरोपिया पति श्री सुभाष को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 6,000 रूपये पेश करने हेतु कहा गया तो उसने अपनी जेब में से दो-दो हजार रूपये के कुल तीन नोट कुल 6,000 रूपये पेश किये। नोटो के नंबर फर्द पेशकशी में अंकित करवाकर मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानि0 नं0 96 को निर्देश दिये जाकर श्री कालूराम कानि. नंबर 477 से मालखाना मे से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि एवं आवश्यक सामग्री मंगवाई गई। उपरोक्त सभी नोटो को पुराने अखबार पर रखवाये जाकर प्रत्येक नोटं पर श्री कालूराम कानि0 नं0 477 से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री लालचंद राणावत की जामा तलाशी गवाह श्री कपिश मीणा कनिष्ट सहायक से लिवाई गई तो परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। इसके बाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 6,000/- रूपयें के नोट श्री कालूराम कानि0 नं0 477 से ही परिवादी के पहने हुये पेन्ट के बांयी साईड की जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह अपनी जेब मे रखे नोटों को हाथ नहीं लगाये तथा आरोपिया श्री रेखा पटवारी या आरोपिया पति श्री सुभाष द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व आरोपिया श्रीमति रेखा या आरोपिया पति श्री सुभाष से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन करने की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर ले। आरोपीगणों मे से रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहाँ छुपाता हैं का भी ध्यान रखें। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपीगण द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फेर कर या अपने मोबाईल से श्री राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करे। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी

को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री कालूराम कानि. नंबर 477 के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया–प्रतिकिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था तथा फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी एवं उपयोग में ली गई गिलास व अन्य सामग्री को मालखाना में श्री कालूराम कानि. 477 से पुनः रखवाया गया। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री वगैरहा को भी साफ पानी व साबुन से दो–दो बार धुलवाया गया एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुननें का प्रयास करें। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी नोट एवं सोडियम कार्बोनेट व फिनोफथलीन पाउडर की मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। रिश्वत राशि के नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले कानि. श्री कालूराम नं. 477 को ट्रेप कार्यवाही से पृथक रखने का निर्णय लिया गया। प्रकरण हाजा में ट्रेप कार्यवाही हेतु श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहन श्री कपिश मीणा व श्री राजकुमार भील , परिवादी श्री लालचंद राणावत, ब्यूरो जाब्ता हैड कानि0 श्री सुखाराम नं0 96, श्री मोहनलाल हैड कानि0 93 ,श्री आदूराम कानि0 142, श्री गुलाबसिंह कानि0140,, श्री विक्रमसिंह कानि. 556 , श्री गोपाल कुमार कानि. 537, श्रीमति हेमलता महिला कानि. नं. 616 मय डिजीटल टेप रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो मय श्री जयराम कानि. 83 एवं निजी वाहन एवं निजी मोटर साईकिल के भ्रनिब्यूरो चौकी जालोर से ग्रम मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर की तरफ रवाना हुऐ। श्री कालूराम कानि0 नंबर 477 को निगरानी डियुटी हेतु कार्यालय पर छोडा गया। प्रकरण हाजा में श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय हमरायान स्वतंत्र गवाहान ,परिवादी मय ब्यूरो जाब्ता के सरकारी ,निजी वाहन एवं निजी मोटर साईकिल के ग्रम मोकलसर के नजदीक पहुंचे। वाहनों को रूकवाया जाकर परिवादी श्री लालचंद राणावत को डिजीटल टेप रिकार्डर ऑपरेट करने की समझाईश कर सूपूर्द कर पटवार हल्का मोकलसर में जाकर आरोपिया श्रीमति रेखा या आरोपिया पति श्री सुभाष से संपर्क कर रिश्वती राशि लेनदेन हेतु श्री गुलाबसिंह कानि. नं.140 के जरिये निजी मोटर साईकिल से रवाना किया गया । ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनलाल हैड कानि. 93 ,श्री सुखाराम कानि. 96 ,श्री गोपाल कुमार कानि. 537 मय ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री जयराम कानि. 83 को आवश्यक हिदायत दी गई की निरीक्षक पुलिस द्वारा सूंचित करने पर शीघ्र रवाना होकर घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक अपनी पहचान छुपाते हुए कस्बे के ईर्दगिर्द मुकीम रहे। परिवादी श्री लालचंद राणावत व गुलाबसिंह कानि. 140 के पीछे श्री राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवहान एवं ब्यूरो जाब्ता श्री विक्रमसिंह कानि. 556 ,श्री आदूराम कानि. महिला कानि. श्रीमति हेमलता कानि. नंबर 616 जरिये निजी वाहन के रवाना होकर पटवार भवन मोकलसर के नजदीक पहुंचे तथा अपनी अपनी पहचान छुपाते हुए परिवादी श्री लालचंद राणावत के ईशारे के इंतजार में व्यस्त हुए । प्रकरण हाजा में परिवादी श्री लालचंद राणावत बिना गोपनीय ईशारे किये पटवार भवन मोकलसर से रवाना होकर श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया । परिवादी श्री लालचंद राणावत ने डिजीटल टेप रिकार्डर श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस को सूपूर्द किया जिसे निरीक्षक पुलिस ने स्वीच आफॅ कर स्वंय के कब्जे लिया । परिवादी ने बताया कि रिश्वती राशि का आदान प्रदान नहीं हो सका । परिवादी श्री लालचंद राणावत को हिदायत दी गई ब्यूरो कानि. श्री गुलाबसिंह के साथ निजी मोटर साईकिल से जालोर की तरफ ग्रम मोकलसर से दूर गौशाला के पास पहुंचे। श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय हमराहयान के जरिये निजी वाहन के जालोर की तरफ स्थित मोकलसर ग्रम की गोशाला के लिए रवाना हुए। प्रकरण हाजा में श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय हमराहयान के जालोर की तरफ ग्रम मोकलसर की गोशाला पर पहुंचे जहां पूर्व पाबंधशुदा परिवादी श्री लालचंद राणावत एंव कानि. श्री गुलाबसिंह नं. 140 उपस्थित मिले। श्री राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस को परिवादी श्री लालचंद राणावत ने बताया कि आपकी हिदायतानुसार आरोपिया श्रीमति रेखा या आरोपिया पति श्री सुभाष से रिश्वती राशि लेनदेन करने हेतु श्री गुलाबसिह कानि. के साथ निजी मोटर साईकिल से पटवार भवन मोकलसर के पास पहुंचे । वहां श्री गुलाबसिंह कानि. नंबर 140 को पटवार भवन के बाहर छोडकर डिजीटल टेप रिकार्डर चालू करके मैं पटवार भवन मोकलसर के अंदर गया ,वहां श्रीमति रेखा एवं आरोपिया पति श्री सुभाष उपस्थित मिले । मैनें मेरे काम के संबध में आरोपीगण श्रीमति रेखा पटवारी एवं आरोपिया पति श्री सुभाष से वार्ता की श्री सुभाष ने मुझे बैंक वाले नवीनीकरण कर दिया आदेश हो गया ये हाथों हाथ भर जायेगा कहा ,ये भर जाने के बाद मेरे पास आने का कहा है मैने आरोपिया श्रीमति रेखा को रिश्वत राशि देने की पेशकश की तो उन्होने हाथ से रूकने का ईशारा किया , श्री सुभाष को रिश्वत राशि के रूप में पेशकश की लेकिन उन्होनें मझे कहा कि आप रखों आपके पास । मुझे लगता

है कि मेरे शर्ट की उपरी जेब में मोबाईल फोन के लाईट को देखकर आरोपिया श्रीमति रेखा एवं उसके पति को वीडियों रिकार्डिंग किये जाने का मुझ पर शक हो जाने से पटवारी श्रीमति रेखा एवं आरोपिया पति श्री सुभाष द्वारा मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की गई। आज ये शक हो जाने से मेरे से शायद ही रिश्वत राशि ग्रहण करेगें । आरोपीगण शातिर प्रवृति के है ये बाद में मेरे से स्वंय या किसी मध्यस्थ के माध्यम से रिश्वत राशि ग्रहण करने हेतु संपर्क करेंगे। कार्यालय डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड परिवादी श्री लालंचद राणावत की आरोपिया श्रीमति रेखा पटवारी व आरोपिया पति श्री सुभाष के मध्य हुई लेनदेन पूर्व वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट को ब्यूरो कार्यालय जालोर जाकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में बनाने का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री लालचंद राणावत के कथनों से आरोपिया श्रीमति रेखा पटवारी एवं उसके पति श्री सुभाष को परिवादी पर संदेह होने से निरीक्षक पुलिस द्वारा आईन्दा ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री लालचंद राणावत के पेन्ट के बांयी साईड की जेब में रखी रिश्वत में दी जाने वाली राशि 6 हजार रूपये को स्वतंत्र गवहान श्री राजकुमार भील कनिष्ट सहायक से निकलवायी जाकर एक लिफाफे में डलवायी जाकर मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानिस्टेबल नंबर 96 को सुपर्द कर हिदायत की गई कि भ्रनिब्यूरो जालोर के मालखाना में सुरक्षा की दृष्टि से रखी जावें। श्री राजकुमार भील कनिष्ट सहायक के दोनों हाथों को साफ पानी व साबुन से तीन बार धुलवाये गये। प्रकरण हाजा में श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहन श्री कपिश मीणा व श्री राजकुमार भील , परिवादी श्री लालचंद राणावत, ब्यूरो जाब्ता हैड कानि0 श्री सुखाराम नं0 96, श्री मोहनलाल हैड कानि0 93 ,श्री आदूराम कानि0 142, श्री गुलाबसिंह कानि0140, श्री विक्रमसिंह कानि. 556 , श्री गोपाल कुमार कानि. 537, श्रीमति हेमलता महिला कानि. नं. 616 पुलिस थाना कोतवाली जालोर मय डिजीटल टेप रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो मय श्री जयराम कानि. 83 एवं निजी वाहन एवं निजी मोटर साईकिल के ग्रम मोकलसर से रवाना होकर भ्रनिब्यूरो चौकी जालोर की पहुंचे । प्रकरण हाजा में परिवादी श्री लालंचद राणावत एवं आरोपिया श्रीमति रेखा पटवारी पटवार हल्का मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर एवं अन्य के मध्य दिनांक 25.08.2022 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी के माध्यम से ब्यूरो के डिजीटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड करवायी गई थी। उक्त रिकार्डिंग वार्ता को परिवादी एंव दोंनो स्वतंत्र गवाहान के रूबरू सुन–सुन कर एवं समझकर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मुर्तिब कर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी द्वारा स्वंय एवं आरोपीगणों के आवाज की पहचान की गई। उक्त वार्तालाप को कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो पैन ड्राईव तैयार कर एक पैन ड्राईव को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी पैन ड्राईव .को डब मानते हुये खुली रखी गई। उक्त दोनों पैन ड्राईव को श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने स्वंय की अभिरक्षा में रखा गया । प्रकरण हाजा में परिवादी श्री लालंचद राणावत एवं आरोपिया श्रीमति रेखा पटवारी पटवार हल्का मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर एवं अन्य के मध्य दिनांक 26.08.2022 को रूबरू हुई रिश्वती राशि लेनदेन पूर्व वार्ता को परिवादी के माध्यम से ब्यूरो के डिजीटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड करवायी गई थी। उक्त रिकार्डिंग वार्ता को परिवादी एंव दोंनो स्वतंत्र गवाहान के रूबरू सुन–सुन कर एवं समझकर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि लेनदेन पूर्व वार्तालाप मुर्तिब कर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी द्वारा स्वंय एवं आरोपीगणों के आवाज की पहचान की गई। उक्त वार्तालाप को कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो पैन ड्राईव तैयार कर एक पैन ड्राईव को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी पैन ड्राईव .को डब मानते हुये खुली रखी गई। उक्त दोनों पैन ड्राईव को श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने स्वंय की अभिरक्षा में रखा गया। प्रकरण हाजा में परिवादी श्री लालचंद राणावत को हिदायत की गई आरोपिया श्रीमति रेखा एवं आरोपिया पति श्री सुभाष द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि लेनदेन हेतु संपर्क करे तो श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस को सूचित करें जिससे अग्रिम ट्रेप कार्यवाही संपन्न की जा सके । परिवादी श्री लालंचद राणवत , स्वतंत्र गवाहान श्री राजकुमार भील कनिष्ट सहायक एंव श्री कपिश मीणा कनिष्ट सहायक ,श्रीमति हेमलता महिला कानि. 616 पुलिस थाना कोतवाली को प्रकरण मे गोपनीयता बरतने एवं श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस द्वारा तलब किया जाने पर तुरंत ब्यूरो कार्यालय जालोर उपस्थित आने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। प्रकरण हाजा में मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानि. 96 को तलब किया जाकर प्रकरण से संबधित मालखाना आईटम परिवादी श्री लालंचद राणावत एवं आरोपिया श्रीमति रेखा पटवारी पटवार हल्का मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर एवं अन्य के मध्य दिनांक 25.08.2022 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की मूल पैन ड्राईव कपडे की थैली में शिल्डमोहर एवं एक डब पैन ड्राईव खुली हालात में एवं परिवादी श्री लालंचद राणावत एवं आरोपिया श्रीमति रेखा पटवारी पटवार हल्का मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर एवं अन्य के मध्य दिनांक 26.08.2022 को रूबरू हुई रिश्वती राशि लेनदेन पूर्व वार्ता की मूल पैन ड्राईव कपडे की थैली में शिल्डमोहर एवं एक डब पैन ड्राईव खुली हालात में सूपूर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। उक्त हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये।

प्रकरण हाजा में दिनांक 01.09.2022 को श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस को परिवादी श्री लालचंद राणावत ने जरिये मोबाईल पर सूचना दी की आरोपिया श्रीमति रेखा पटवारी एवं उसके पति सुभाष ने

मेरे से अभी तक रिश्वत राशि लेनदेन हेतु संपर्क नहीं किया गया। मैं अपने अतिआवश्यक पारिवारिक कार्य हेतु कुछ दिनों के लिए गुजरात जा रहा हूँ। परिवादी श्री लालचंद राणावत को हिदायत की गई कि आरोपीगणों द्वारा रिश्वत राशि लेनदेन हेतु संपर्क करने पर श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस को सूचित करें।

प्रकरण हाजा में दिनांक 08.09.2022 को श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस के समक्ष परिवादी श्री लालचंद राणावत कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया परिवादी ने बताया कि दिनांक 26.08.2022 को आरोपिया श्रीमति रेखा पटवारी को मेरे शर्ट की उपरी जेब मे मोबाईल रखे जाने से शक हो गया था। इसलिए आरोपिया रेखा एवं उसके पति श्री सुभाष द्वारा रिश्वत राशि लेनदेन हेतु संपर्क नहीं किया। दिनांक 04.09.2022 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी जैसलमेर द्वारा श्रीमति रेखा पटवारी एवं उसके पति सुभाष के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही की गई थी। इस प्रकार परिवादी के कथनों सें एवं मालूमात करने पर आरोपिया श्रीमति रेखा पटवारी ,पटवार हल्का मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर के विरूद्ध श्री अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस ,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेंर द्वारा ट्रेप कार्यवाही करने से एंव आरोपिया वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में सफलता की संभावना नहीं होने के मध्यनजर श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानि. नं. 96 लिफाफे में बन्द रिश्वती राशि 6 हजार रूपये को मालखाना से निकालकर नोटो पर लगे फिनोफ्थलीन पाउडर को तसल्ली से साफ कर परिवादी श्री लालचंद राणावत को सुपूर्द कर पृथक से प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई एवं श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम सफलता नहीं मिलने से परिवादी श्री लालचंद राणावत को रुखस्त दी गई । उक्त हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये।

अब तक की कार्यवाही से श्रीमति रेखादेवी वैष्णव पटवारी पटवार हल्का मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर द्वारा लोक सेवक होते हुए पद का दुरूपयोग कर स्वंय एव अपने पति सुभाष(दलाल) के मार्फत परिवादी श्री लालचंद राणावत की खरीद शुदा भूमि के मम्यूटेशन भरवाने की एवज में दौराने मांग सत्यापन दिनांक 25.08.2022 को 6,000 रूपये की मांग करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपिया **श्रीमति रेखादेवी वैष्णव पुत्री श्री रामनिवास वैष्णव जाति वैष्णव उम्र 31 वर्षनिवासी नीमडी कल्ला , डेगाना जिला नागौर तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर** एवं दलाल आरोपिया पति श्री **सुभाष वैष्णव पुत्र श्री बाबू दास जाति वैष्णव उम्र हनुमान जी की तिबारी ग्राम पोस्ट जसनगर तहसील मेडता सिटी जिला नागौर** के विरुद्व अन्तर्गत धारा 7,7 क भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा0द0सं0 में प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया जाना पाये जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर कमांकन हेतु श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित हैं।

भवदीय

(डॉ महावीरसिंह राणावत)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जालोर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. महावीरसिंह राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7क भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त 1. श्रीमती रेखादेवी वैष्णव, तत्कालीन पटवारी, पटवार हल्का मोकलसर, तहसील सिवाना जिला बाडमेर एवं 2. श्री सुभाष वैष्णव पुत्र श्री बाबू दास, निवासी हनुमान जी की तिबारी, ग्राम पोस्ट जसनगर, तहसील मेडता सिटी, जिला नागौर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 427/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

2/11/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः 3705-09 दिनांक 02.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बाडमेर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।

2/11/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।